

# डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

## निविदा-प्रपत्र

निविदा मूल्य : 500 रुपये

निविदा का नाम	विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु एजेन्सी का चयन ।
आपूर्तिकर्ता/ फर्म का नाम	.....
दूरभाष नम्बर	.....
पार्टनरशिप/ प्रोपराइटरशिप पत्र व्यवहार का पता	.....
अर्नेस्टमनी	रुपये 3,00,000/- मात्र (रुपये तीन लाख मात्र) एफ.डी.आर. संख्या..... दिनांक ..... बैंक का नाम .....
निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड की तिथि	22 अगस्त, 2016 से
निविदा प्रपत्र की हार्डकॉपी स्वीकार की अंतिम तिथि	30 अगस्त, 2016 अपरान्ह 3.00 बजे
निविदा खुलने की तिथि व समय-	30 अगस्त, 2016 अपरान्ह 3.30 बजे
निविदा का विवरण	मैं/ हम ..... फर्म का नाम ..... प्रोपराइटर/ पार्टनर ..... निविदा के साथ संलग्न लिस्ट पर दी गई दरों पर कार्य करने को सहमत हूँ। ..... (हस्ताक्षर निविदादाता) पता ..... टेलीफोन/ मोबाइल नं0 ..... व्यापार कर रजिस्ट्रेशन सं0 ..... दिनांक..... आयकर पैन नम्बर .....

## नोट-

वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ टेण्डर अभिलेख निर्धारित तिथि व समय तक निविदा मूल्य रूपये 500/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक एवं धरोहर राशि के एफ.डी.आर. के साथ जो "वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा" के पक्ष में देय हो, के साथ जमा करना अनिवार्य होगा ।

# भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

## घोषणा-पत्र

निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत मैं श्री .....  
पार्टनर/प्रोपराइटर निवासी ..... फर्म का नाम .....  
.....विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु  
एजेन्सी का चयन हेतु अपनी निविदा की दरें संलग्न कर रहा हूँ । अर्नेस्टमनी का एफ.डी.आर. संख्या .....  
दिनांक ..... रूपये .....बैंक का नाम ..... जो  
वित्त अधिकारी डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नाम बन्धक है इस निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ  
मैंने निविदा सम्बन्धी नियम व शर्तें भली भाँति पढ़ लिये हैं तथा मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मैं निर्धारित  
समय के अन्दर ठेके की कार्यवाही नियमानुसार यथा जमानत राशि, इकरारनामा आदि पूर्ण करने में असफल रहूँ तो मेरे  
बयाने की राशि जब्त कर ली जाय। इन नियमों एवं शर्तों का मैं पूर्ण रूपेण परिपालन करूँगा तथा उसके विरुद्ध मैं  
किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं रहूँगा।

एतद्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तें एवं नियम मुझे बिना किसी आपत्ति के  
स्वेच्छा से स्वीकार हैं। सभी विवादों में कुलपति महोदय डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा किये गये  
समस्त निर्णय मुझे मान्य होंगे।

गवाह—

निविदादाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर एवं पता

निविदादाता का नाम .....

.....

.....

हस्ताक्षर एवं पता .....

फर्म से सम्बन्ध .....

.....  
दिनांक— .....

पूरा पता .....

मोबाइल नं0 .....

नोट—

- 1— निविदा की तीन प्रतियाँ मिलेंगी ।
- 2— दो प्रतियाँ विश्वविद्यालय में (प्रथम पर मूल व द्वितीय पर डुप्लीकेट प्रति अंकित कर) निर्धारित दिनांक एवं समय तक जमा होंगी ।
- 3— निविदा के साथ रूपये 100/- का नॉन जुडीशियन स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
वित्तीय विड

विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु एजेन्सी का चयन ।

मैं/हम..... (प्रोपराइटर/पार्टनर) फर्म का नाम .....

फर्म का पता .....

निम्न दरें विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु दे रहा हूँ/रहे हैं—

मैं/हम समाचार पत्र की प्रिन्टिड दरों पर ..... प्रतिशत की छूट शैक्षणिक संस्था होने के कारण देने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ/ करते हैं।

नोट – कर भुगतान – फर्म द्वारा किया जायेगा/ अतिरिक्त रूप से देय होगा ।

दिनांक—

(हस्ताक्षर निविदादाता)

फर्म की मोहर

# डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

## निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1. विज्ञापन एजेन्सी पंजीकृत व आई.एन.एस. की सदस्यता धारित करती हो ।
2. निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि वित्त अधिकारी डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के नाम देय होगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ.डी.आर. ही (अन्य किसी रूप में मान्य नहीं होगी) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। पूर्व में किसी भी रूप में जमा/सुरक्षित अर्नेस्टमनी इस नवीन निविदा कार्य हेतु मान्य न होगी ।
3. यदि निविदा फर्म के नाम होगी तो फर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप ऐक्ट/कम्पनी ऐक्ट तथा व्यापार कर आयकर एवं कार्य के अनुभव का उल्लेख तथा समर्थन में अनुभव प्रमाण-पत्र व (केन्द्रीय व राज्य) वैट अधिनियम आदि तथा हस्ताक्षरकर्ता के नाम फर्म का मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटार्नी) लगाना अनिवार्य व आवश्यक होगा ।
4. विज्ञापन एजेन्सी स्थानीय विज्ञापन संग्रह सुविधा प्रदान करेगी । जिससे यदि कोई विज्ञापन आवश्यक कार्यवश तत्काल प्रकाशित कराया जाना हो तो विश्वविद्यालय को कोई असुविधा न हो । कार्यादेश विश्वविद्यालय से प्राप्त करना एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा । इसके लिए किसी भी प्रकार का भाड़ा/परिवहन व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिया जायेगा ।
5. विज्ञापन प्रकाशित होने के दूसरे दिन सूचना सम्बन्धित प्राधिकारी को समाचार पत्र, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ है की एक प्रति अनिवार्य रूप से निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी । यदि समाचार पत्र आगरा परिक्षेत्र से बाहर का है तो उसे प्रकाशन तिथि से चार दिन के भीतर प्रश्नगत समाचार पत्र की एक प्रति के साथ सम्बन्धित प्राधिकारी को उपलब्ध करानी होगी ।
6. प्रकाशित विज्ञापन सामग्री पठनीय, सुव्यवस्थित तथा उच्च गुणवत्ता की हो यदि एजेन्सी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो अन्य श्रोतों से वर्णित कार्य गुणवत्ता के आधार पर करा लिया जायेगा। कुलपति या उनके प्रतिनिधि का फैसला निविदादाता को मान्य होगा और उस फैसले के विरुद्ध निविदादाता को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा ।
7. प्रकाशक की भूल से विज्ञापन सामग्री के मुद्रण में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो प्रकाशक द्वारा उसे शुद्ध रूप में पुनः निःशुल्क प्रकाशित करना होगा । समाचारपत्र जिस भाषा में प्रकाशित है उसी भाषा में विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाय । इस हेतु विज्ञापन का आलेख हिन्दी भाषा में ही निर्गत किया जायेगा । जिसका सही अनुवाद कराकर वांछित भाषा में विज्ञापन सामग्री की मूल भावना की शुद्धता के साथ समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी ।
8. निविदा की स्वीकृति पर कुलपति जी का फैसला अन्तिम होगा। निविदा देने वाले व्यक्ति को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
9. बजट की धनराशि को बढ़ाने एवं घटाने इत्यादि हेतु विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति होने के बाद ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को घटित क्षति के लिये उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी ।
11. फर्म/ठेकेदार के नाम से जो ठेका स्वीकृति किया जायेगा वह किसी भी दशा में किसी अन्य फर्म/ठेकेदार को स्थानान्तरित (sub-let) नहीं करेगा। यदि फर्म/ठेकेदार ऐसा करते हैं तो उनका ठेका निरस्त समझा जायेगा तथा उनकी जमानत राशि को जब्त करके विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया जायेगा।
12. इस निविदा के माध्यम से स्वीकृत दरें सामान्य परिस्थिति में एक वर्ष तक मान्य होंगी। किन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि अगली निविदा की दरें समयावधि पूर्ण होने पर स्वीकृत नहीं हो पाती हैं तो आगे भी इन्हीं दरों पर कार्य करना होगा। किन्तु दोनों पक्षों को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे कम से कम तीन माह की नोटिस देकर अपने को इन शर्तों से अलग कर सकते हैं।

13. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति हो जाने के उपरान्त निविदा संबंधी कार्यवाही जैसे सिक्योरिटी धनराशि, अनुबन्ध आदि की कार्यवाही निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नहीं करता है तो उसकी निविदा को निरस्त मानते हुए अर्नेस्टमनी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। द्वितीय फर्म को न्यूनतम दर के लिए, वार्तानुसार ठेका देने के लिए विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होगा। निर्धारित समय एवं दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा चाहे विलम्ब पोस्ट आफिस/कोरियर की गलती के कारण हुआ हो।
14. (क) निविदा प्रपत्र तीन प्रतियों में उपलब्ध है जिसमें से 2 प्रतियों में भरकर पृथक-पृथक लिफाफों में जमा करना होगा। जिस लिफाफे में तकनीकी विड एवं वित्तीय विड रखे जायेंगे उस लिफाफे पर क्रमशः "मूल प्रति" तथा दूसरे लिफाफे पर "डुप्लीकेट प्रति" अंकित किया जाय। निविदा प्रपत्र की एक प्रति निविदादाता की व्यक्तिगत प्रति होगी।
- (ख) तकनीकी विड एवं वित्तीय विड अलग-अलग लिफाफों में सील कर दोनो को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील करने के उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा।
- (ग) तकनीकी विड वाले लिफाफे में केवल कार्य के अनुभव प्रमाण-पत्र, अर्नेस्टमनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी. आर. क्रमांक 2 व 3 के अनुसार, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पावर आफ एटार्नी आदि तथा सैम्पल होंगे उस पर "तकनीकी विड" अवश्य लिखा जाये।
- (घ) जिस लिफाफे में सामग्री की दरें प्रस्तावित होंगी उस पर वित्तीय विड लिखा जाय।
15. कुलपति जी को यह अधिकार होगा कि वह एक या समस्त निविदा को वगैर कोई कारण बताए निरस्त/स्वीकृत कर सकते हैं ऐसी स्थिति में फर्म/ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
16. दोनों पक्षों में कोई विवाद होने पर कुलपति जी ही आरबिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।
17. निविदादाता/फर्म को स्टाम्प अधिनियम तथा इसके सापेक्ष समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा।
18. निविदा खोलने की तिथि से 90 दिवस तक वैध मानी जायेगी।
19. समयबद्ध रूप से कार्य संपादित न करने अथवा असंतोषजनक/गुणवत्ता युक्त कार्य न करने पर विश्वविद्यालय को किसी रूप में भी पैनल्टी लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।
20. न्यायिक क्षेत्राधिकार आगरा ही होगा।

दिनांक-

हस्ताक्षर निविदादाता

पत्र व्यवहार का स्पष्ट पूरा पता

-----  
-----  
-----

दूरभाष नं० -----

मोहर